Interview of Jaisingh (Bricklin and Construction Workers Union-Punjab)

I am Jaisingh presently General Secretary of Voluntary for Social Justice. It is a NGO working for eradication of Bonded Labour and Child Labour System. We have our National and State networks. I want to go back in the eighties. In early eighties we started Khan Mazdoor Union at Fraidabad and I was a founder member of Bandhua Mukti Morcha. After I left that I went back to Punjab, my native place and started working on the issue of Bricklin Workers and formed union. The name was Brick and Construction Workers Union. Those days I was member of Indian Federation of Building and Wood Workers .I was also member of Tripartite Working Group in the Bricklin Industry. It was committee formed by Ministry of Labour, Union of India. I met NCC-CL member like Geetha Ram Krishnan, N.P. Samy, and Mr. Subbu. So these people were working very hard to bring a comprehensive legislation for Construction Workers. They talked to me and I influenced by their thoughts. I tried to conveyance the Indian Federation Building and Wood Workers. But unfortunately the leadership could not get idea. And they were apposing it and hence I was compelled to live the Indian Federation of Building and Wood Workers and join NCC-CL. We had several meeting under the leadership of Justice Krishna Iyer, Supreme Court Lawyer Venkataramani. I stayed at Madras, Bangalore, and had meeting in Chikmaoor on Construction Workers. It was not a easy thing and very tiring process when we told the construction workers that we are fighting for legislation for them they had many aspirations, but nothing was coming out of it. Almost all from 1983 to 1996 it was long time. Even I myself got disappointed that nothing is coming out. The Govt don't to make legislation for Construction Workers. But with sincere efforts we had demonstration at Delhi. Several meeting with labour Ministry. But that act was not according to our expectation. The Act which we wanted to bring was a very comprehensive and strong for the benefit of construction workers. But now enact though it is week act and the many state have not framed rules to implement and now we are trying hard in our state to pressurize the Government to implement this act.

सुभाष भटनागर :– मैंने तो 1986 से इस Campaign का काम संभाला, लेकिन पूराने रिकॉर्ड के पफोटो में जब मैने देखा की आप इसमें शमिल थें तो हम जानना चाहते है कि 1985 की जो सेमिनार थी, उसके पहले आपको किसने कैसे संर्पक किया इस Campaign में आने के लिए।

जय सिंह :– मैं इस टीम से, दिल्ली में मेरी मुलाकत हुई थी। लेकिन मैंने अचानक देखा कि गीता मेरे घर पर आई पर मेरी वहाँ उससे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उन्होने पत्रा छोड़ा और मुझे invite किया Delhi Meeting में। मैं उसके बाद NCC - CL का हिस्सा बन गया ।

सुभाष भटनागर :– मैं और गीता आपके यहाँ पर गये, मेहंगाराम रामजी आपके यहाँ पर गये तब चिठ्टी छोड़ के आये थे। लेकिन उसके पहले भी आप शामील थे, उसके पहले आप कैसे शामिल थे।

जय सिंह :– मैंने बताया आपको हमारी टिम थी जिसमें गीता रामास्वामी थी, सुब्बू थे और एन. पी. स्वामी थे।

सुभाष भटनागर :– ये लोग आपको कहाँ मिले थे।

जय सिंह :– मेरी इनसे मुलाकात दिल्ली में हूई थी, क्योंकि मैं उन दिनों में जो IFB के महासचिव थे वे दिल्ली में आये हुये थे, जो 'TWG' के सदस्य थे वह 'निर्माण मजदूरों' के बोर्ड को लेकर विरोध कर रहे थे तो मुझे लगा कि यह अच्छा काम है। तो मैंने NCC-CL के समूह के साथ Dialogue शुरू किया यह भी कोशिश की थी कि दोनों एक मंच पर आ जाऐं unfortunately यह नहीं हो पाया तो मुझे IFWBB छोड़ कर NCC-CL में जाना पड़ा ।

सुभाष भटनागर :– हम आपके घर पर चिट्ठी छोड़कर मेहंगा राम के घर पर निकल गये। उसके बाद आप रैली में आते रहे थे, इस बार भी Unorganised Campaign की रैली में पंजाब से पूरा रैला आया, उसने तो कमाल ही कर दिया ।

जय सिंह :– मई की रेली की खबर हमें दस दिन पहले ही मिली और हमने यह तैयारी कुछ दिनों में ही की थी।

गणेश :– जो पूरा NCC-CL का campaign हुआ था उसका labour movement पर किस तरह से Impact हुआ था।

जय सिंह :– देखिए, जो construction है वह unorganised की बात है जब हम दिल्ली में, पफरिदाबाद में ही जब bonded labour के बीच में काम कर रहे थे। तो उन दिनों में यहाँ एशियाड का भी काम चल रहा था। एशियाड में मजदूरों का जम के शोषण हुआ इसके उपर बाद में Supreme Court का Judgment भी आया । सि(ार्थ होटेल के मजदूरों का शोषण हुआ।हम लोग जब ध्रने में बैठे, हमारे उपर जयप्रकाश एसोशिएशन ने कापफी दबाव भी हमारे उपर डाला। आखिरकार वर्कर के साथ जो धेखाध्ड़ी की थी उनको यह कहकर यहाँ लाये थे कि आपको विदेश भेजेंगें तो उनको वहाँ नही भेजा । वो लोग विदेश जा पाये, उनमे से जिन्हें wages नही मिले थे, उन्हें wages मिल गये। तो तभी से हमें लग रहा था क्योंकि हम mines का काम कर रहे थे तो हमें लगा कि जो construction है उनके लिए कोई Legislation नहीं है। हालांकि mines worker के लिए थी। लेकिन उसका implementation नहीं था। Construction Workers के लिए legistation का इमदेम होना उनके लिए दुखदायीकारक था और एक बड़ी लेबर पफोर्स के बिना कानून जी रही थी।

सुभाष भटनागर :— 1996 में जो कानून बना है, उसमें कापफी कमियाँ हैं। जो हमने 1996 में सुझाव दिया था उससे यह कानून बहुत दूर है। लेकिन हमने यह मिलकर तय किया कि पहले उसमें amendment लाने की बजाये उसको implement करवा लें और पिफर जब मजदुरों का registration बड़ी पैमाने पर कई प्रांतों में हो जाए, उन सबके बीच में, जागरूक करके हम बंउचंपहद चलाये हमने NCC-CL के सुझाव सरकार के पास रखें। तो आपकी इस बारे में क्या राय है?

जय सिंह :— सुभाषजी मुझे याद है मेरा खास मजदूर 'श्यामलाल' उसका नाम था । उसको टी.बी. हो गई थी और वह मरने के किनारे पर था। उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसकी पत्नी भी वहाँ बैठी हुई थी। उसको देखते हुये कहा कि ईश्वर उसको आराम दे तो अच्छा है। पत्नी ने मुझसे कहा कि जब तक यह जीवित है तब तक मैं सिंदूर डाल सकती हूँ और रंगीन कपड़े पहन सकती हूँ, जैसे यह मर जायेगा मेरे सपफेद कपड़े हो जायेंगें। Law कमजोर लेकिन वर्करस की एक protection तो हैं उसे ताकतवर बनाने के लिए हम कोर्ट में जायेंगे, पार्लियामेन्ट में campaign करके पार्लियामेन्ट से amendment के लिए कहेगें, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से मार्गदर्शन लेगे, लेकिन लॉ होना जरूरी है। कोई भी दुनियाँ में ऐसा लॉ नही है जो शुरू से ही अच्छा हो। अपने constitution को ही ले लो वहाँ पहले Right to Life था अभी Right to Life with dignity हो गया पिफर Right to Life with dignity and tendency हो गया, यह आगे कुछ और बढ़ेगा। Similarly हमें आशा है कि इस कानून से कापफी सारे बदलाव आयेगें और जो कमियाँ हम देख रहे हैं, वह पूरी हो जायेगी।

सुभाष भटनागर :— अभी तक यह कानून सात प्रांतो में लागू हो गया है, तीन साऊथ के राज्य केरल, तमिलनाडू और पॉडेंचेरी में तथा गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अभी–अभी उड़िसा का पता चला है। पंजाब में इस कानून का अभी तक Implementation नही हुआ और इतना ही नहीं जो सरकारी अपफसरों से हमारे चिट्ठियों के जवाब आये उसमे तो बड़ा नकरात्मक लिखकर आया है कि कानून हमारे लिए कोई जरूरी नही हैं, यहाँ हालात सब ठीक है। आपसे हमारी आशा है कि आप लोगो को वहाँ पर इकठ्टा करके, बाकी संगठनों को इकट्ठा करके इस कानून को पंजाब में जल्द से जल्द implement किया जाए ।

जय सिंह :– आप जानते हैं कि पंजाब में लंबे समय से insurgency रही और insurgency के दौर में democratic process totally ठप हो गये थे। अब वहाँ स्थिति कुछ सामान्य हुई हैं। हम लोग वर्कर में कापफी चेतना जगा रहे हैं और मेरी correspondence भी सरकार के साथ चल रही है। और दूसरा जो है कि पंजाब सरकार का मानना है कि इसकी पंजाब में जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह कोई सही सोच नहीं है। यह एक Central Legislation है, National Legislation है जिसको उन्हें भी honour करना पड़ेगा, अगर वह नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाने पर मजबूर हो जायेगें ।